प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायाधीश

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 89 / 2007

आवेदिका/उत्तरवादी क्रमांक 3 — सलीका बेगम, पति जुबेर अहमद, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी पुराने बस स्टैंड के पास, मेन रोड, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादी/ चुनाव याचिकाकर्ता

1. श्रीमती. गीता गुप्ता, पति मदनलाल गुप्ता, निवासी स्टेट बैंक के पास, पेंड्रा रोड, गौरेला, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

उत्तरवादीगण

2. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा निर्वाचन अधिकारी, आर.पी. मिश्रा, नगर पंचायत चुनाव 2004, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, जिला बिलासपुर
4. संध्या राव, पत्नी राजेंद्र शर्मा, निवासी पुराने बस स्टैंड के पास, मेन रोड, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
5. गीता सोनी, पति महेंद्र सोनी, निवासी मंगली बाजार, पानी टंकी के पास, गौरेला
6. आयशा बेगम, पति लतीफ़, निवासी दीपू मोहल्ला, नगर पंचायत गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
7. जिला निर्वाचन अधिकारी, नगरीय निकाय, निर्वाचन वर्ष 2004, बिलासपुर, द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)
8. रिटर्निंग अधिकारी, नगर पंचायत गौरेला, चुनाव वर्ष 2004 गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 26(2) सह पठित नियम 19 छत्तीसगढ़ नगर पालिका (निर्वाचन याचिका) नियम, 1962 के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण ।

उपस्थित: श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री मनोज परांजपे तथा श्री अशोक सोनी, आवेदिका के अधिवक्ता ।
श्री राजेश पांडे, उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ।
श्री अखिल अग्रवाल, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 3 के पैनल अधिवक्ता ।
श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अंकित पांडे, उत्तरवादी क्रमांक 4 के अधिवक्ता ।

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 90 / 2007

आवेदिका/उत्तरवादी क्रमांक 5 सलीका बेगम, पति जुबेर अहमद, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी पुराने बस स्टैंड के पास, मेन रोड, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी/ चुनाव याचिकाकर्ता

1. संध्या राव, पति राजेंद्र शर्मा, निवासी पुराने बस स्टैंड के पास, मेन रोड, गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

उत्तरवादीगण

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव नगर निकाय प्रसाशन, रायपुर (छ.ग.)
3. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त रायपुर (छ.ग.)
   उपरोक्त दोनों कार्यालय डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) के
4. जिला निर्वाचन अधिकारी, द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर
5. आर.के. मिश्रा, निर्वाचन अधिकारी, नगर पंचायत गौरेला, निर्वाचन वर्ष 2004, तहसील कार्यालय पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
6. गीता गुप्ता, उम्र लगभग 37 वर्ष, पति मदनलाल गुप्ता, निवासी स्टेट बैंक के पास गौरेला, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
7. गीता सोनी, उम्र लगभग 44 वर्ष, पति महेंद्र सोनी, निवासी मंगली बाजार, पानी की टंकी के

पास, गौरेला, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

8. आयशा बेगम, पति लतीफ़, निवासी दीपू मोहल्ला, नगर पंचायत गौरेला, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 26(2) सह पठित नियम 19 छत्तीसगढ़ नगर पालिका (निर्वाचन याचिका) नियम, 1962 के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण ।

उपस्थितः श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री मनोज परांजपे तथा श्री अशोक सोनी, आवेदिका के अधिवक्ता ।

श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अंकित पांडे, उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ।

श्री अखिल अग्रवाल, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 के पैनल अधिवक्ता ।

श्री राजेश पांडे, उत्तरवादी क्रमांक 6 के अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 97 / 2007

आवेदिका श्रीमती गीता, पति मदन लाल गुप्ता, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी स्टेट बैंक के पास, पेंड्रारोड (गौरेला), जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा निर्वाचन अधिकारी, आर.पी. मिश्रा, नगर पंचायत चुनाव 2004, गौरेला, तहसील पेंड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. शकीला बेगम, पति जुबेर अहमद, निवासी पुराने बस स्टैंड के पास, मेन रोड, गौरेला, तहसील पेंड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
4. संध्या राव, पति राजेंद्र शर्मा, निवासी पुराने बस स्टैंड के पास, मेन रोड, गौरेला, तहसील पेंड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
5. गीता सोनी, पति महेंद्र सोनी, निवासी मंगली बाजार, पानी की टंकी के पास, गौरेला, तहसील पेंड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

6. आयशा बेगम, पति लतीफ, निवासी दीपू मोहल्ला, नगर पंचायत गौरेला, तहसील पेंड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
7. जिला निर्वाचन अधिकारी, नगरीय निकाय, निर्वाचन वर्ष 2004, बिलासपुर, द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)
8. रिटर्निंग ऑफिसर, नगर पंचायत गौरेला, चुनाव वर्ष 2004 गौरेला, तहसील पेंड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

<u>छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 26(1) के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण</u>

उपस्थित: श्री राजेश पांडे, आवेदिका के अधिवक्ता ।
श्री अखिल अग्रवाल, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 के पैनल अधिवक्ता ।
श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री मनोज परांजपे तथा श्री अशोक सोनी, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता ।
श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अंकित पांडे, उत्तरवादी क्रमांक 4 के अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(11 दिसंबर, 2007 को पारित)

यह सामान्य आदेश सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 89/2007, 90/2007 और 97/2007 को निर्धारित करेगा, जो चुनाव याचिका क्रमांक 12/2007 और 13/2007 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 28-07-2007 के आदेश से उत्पन्न हुआ है।

(2) सिविल पुनरीक्षण संख्या 89/2007 और 90/2007 के वाद-शीर्षक में टंकण संबंधी त्रुटि पाई गई है, क्योंकि आवेदिका का नाम श्रीमती शकीला बेगम के स्थान पर सलीका बेगम दर्शाया गया है।

(3) तीनों पुनरीक्षणो के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक निम्नलिखित तथ्य बहस के दौरान निर्विवाद रहे:

(i) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 (इसके बाद 'नियम, 1994' के रूप में संदर्भित) के नियम 21 के तहत नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए समय-सारिणी, में अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके बाद 'अ.पि.व.' के रूप में संदर्भित) की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, निम्नानुसार थी:

(क) नामांकन दाखिल करने के लिए	29-11-2004	को अपराह्न 3 बजे तक।
(ख) नामांकन की संवीक्षा	30-11-2004	प्रातः 10 बजे से
(ग) नाम वापसी की अंतिम तिथि	02-12-2004	अपराह्न 3 बजे तक
(घ) मतदान	17-12-2004	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
(ड) मतगणना	19-12-2004	प्रातः 9 बजे से

(ii) सिविल पुनरीक्षण संख्या 89/2007 और 90/2007 की आवेदिका श्रीमती शकीला बेगम, सिविल पुनरीक्षण संख्या 97/2007 की आवेदिका श्रीमती गीता गुप्ता, श्रीमती संध्या राव, श्रीमती गीता सोनी और श्रीमती आयशा बेगम ने दिनांक 29-11-2004 को नामांकन दाखिल किए। रिटर्निंग ऑफिसर श्री आर.पी. मिश्रा, अना. सा.-1 द्वारा दिनांक 30-11-2004 को जांच की गई। संध्या राव ने आपत्ति दर्ज की कि श्रीमती शकीला बेगम द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य के अ.पि.व. के जाति प्रमाण पत्र, जिन्हें गौरेला के नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया गया बताया गया है, कूटरचित हैं और अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा दिनांक 18-11-2004 को जारी जाति प्रमाण पत्र, जिसमें उनकी जाति मध्य प्रदेश राज्य में अ.पि.व. के रूप में "मोमिन जुलाहा" दर्शाई गई थी, 27-11-2004 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था इसलिए, अब अस्तित्व में नहीं है। निर्वाचन अधिकारी श्री आर.पी. मिश्रा ने उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उक्त आपत्ति पर विचार किया और श्रीमती शकीला बेगम का नामांकन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा जारी दिनांक 18-11-2004 का जाति प्रमाण पत्र 27-11-2004 को निरस्त कर दिया गया था और अस्तित्व में नहीं था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iii) दिनांक 02-12-2004 को, उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख पर, श्रीमती गीता सोनी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और चुनाव चिन्ह श्रीमती आयशा बेगम, श्रीमती गीता गुप्ता और श्रीमती संध्या राव को आवंटित किए गए। इस बीच, श्रीमती शकीला बेगम ने दिनांक 02-12-2004 को रिट याचिका संख्या 4612/2004 को प्रस्तुत किया और इस आधार पर अंतरिम अनुतोष की प्रार्थना की कि निवार्चन अधिकारी ने राजस्व प्रकरण संख्या 208 बी/121/2003-04 में नायब तहसीलदार, पेंड्रा रोड द्वारा जारी किए गए दो जाति प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया, जिनमें उनकी जाति "मोमिन जुलाहा" के रूप में दिखाई गई थी, जो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ 12-34-82-2-25 दिनांक 06-12-1982 के तहत एक अ.पि.व. थी । दिनांक 02-12-2004 को, अर्थात् रिट याचिका दायर करने की तिथि को, माननीय न्यायाधीश श्री एल. सी. भादू, द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

> "पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, उसका जाति प्रमाण पत्र, जो अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा जारी किया गया था, उसे सुनवाई का नोटिस दिए बिना ही निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा, नायब तहसीलदार, पेंड्रा रोड द्वारा

जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र अनुलग्नक पी-2 और पी-5 पर रिटर्निंग अधिकारी ने यह आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया कि ये प्रमाण पत्र अभी भी अस्तित्व में हैं।

अतः, उपरोक्त के मद्देनजर, मेरा मत है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर, पेंड्रा रोड द्वारा पारित दिनांक 30.11.2004 के आक्षेपित आदेश का संचालन एवं क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा"

(iv) असमंजस की स्थिति में, राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर से दिनांक 04-12-2004 को प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसी दिन एक आदेश पारित किया, जो इस प्रकार है:

"छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कमांक एफ-134/रानिआ/न.पा/समय अनुसूची/2004/2392 दिनांक 04 दिसम्बर 2004

प्रति

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला - बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)

विषयः- नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्ताव अनुमोदित करने बाबत् ।

संदर्भः- आपका ज्ञाप कमांक 952/स्था. निर्वा./2004 बिलासपुर दिनांक 4.12.04

कृपया अपना संदर्भित पत्र देखें । आपने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा □□ 4612/2004 शकीला बेगम विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य 2 प्रकरण में पारित आदेश के संदर्भ में माननीय उप महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता से चर्चा की है । विधिक अनुशंसा और आपके प्रस्ताव के अनुसार इस प्रकरण में श्रीमती शकीला बेगम के निरस्त किये गये नामांकन पत्र को (emphasis supplied by me) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में पुनः समीक्षा दिनांक

4.12.2004 को समय 4.30 बजे की जाये । उसी अनुक्रम में नाम वापिसी के लिये दिनांक 5.12.2004 का अपरान्ह 4.00 बजे तक का समय अनुशंसित किया है, उसे भी अनुमोदित किया जाता है और तदुपरांत प्रतीक चिन्ह आबंटित किया जाये । निर्वाचन संबंधी अगली कार्यवाही नगरपालिक अधिनियम, नगरपालिका निर्वाचन नियम और राज्य निर्वाचन आयोग के स्थायी निर्देशों के अनुसार की जाये ।

हस्ताक्षर /-
4/12/2004
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
{स्थानीय निर्वाचन} बिलासपुर छ.ग.

पृष्ठांकन कमांक/973/स्था. निर्वा. / 2004 बिलासपुर, दिनांक 4 दिसंबर - 04

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिलिपिः-

रिटर्निंग आफिसर नपाप) गौरेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ताक्षर /-.
4-12-04
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
{स्था. निर्वा.} हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी
बिलासपुर छ.ग."

(v) दिनांक 04-12-2004 के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, जिसे उसी दिन जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर और रिटर्निंग ऑफिसर, पेंड्रा रोड को सूचित किया गया था, और समय कम होने के कारण, रिटर्निंग ऑफिसर श्री आर.पी. मिश्रा द्वारा श्रीमती शकीला बेगम और अन्य उम्मीदवारों को दिनांक 04-12-2004 को ही जल्दबाजी में नोटिस जारी किए गए थे ताकि वे नामांकन पत्रों की जांच के लिए तहसीलदार, पेंड्रा रोड के कार्यालय में उनके समक्ष उपस्थित हों। श्रीमती शकीला बेगम और श्रीमती आयशा बेगम रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित हुईं, जबकि अन्य उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए। श्रीमती संध्या राव को उनके घर पर नोटिस चिपकाकर नोटिस तमिल कराया गया क्योंकि वह उपलब्ध नहीं थीं और श्रीमती गीता गुप्ता और श्रीमती गीता सोनी को नोटिस तमिल कराया गया था। पुनः जांच के समय कोई आपत्ति नहीं की गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने जाँच के बाद आदेश पारित किया कि **नामांकन (जिस पर मेरे द्वारा**

बल दिया गया है) वैध पाए गए। इसके बाद, दिनांक 05-12-2004 को किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। दिनांक 17-12-2004 को मतदान हुआ और 19-12-2004 को श्रीमती शकीला बेगम को नगर पंचायत गौरेला का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।

(vi) श्रीमती शकीला बेगम के निर्वाचन को रद्द करने के लिए, श्रीमती गीता गुप्ता और श्रीमती संध्या राव द्वारा दिनांक 31-12-2004 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर के समक्ष क्रमशः चुनाव याचिकाएँ संख्या 12/2007 और 13/2007 दायर की गईं। श्रीमती गीता गुप्ता ने चुनाव याचिका में एक अतिरिक्त प्रार्थना की कि उन्हें नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाए, क्योंकि श्रीमती शकीला बेगम के बाद उन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त हुए थे।

(vii) रिट याचिका संख्या 4612/2004 को श्रीमती शकीला बेगम द्वारा दिनांक 27-06-2007 को वापस ले लिया गया क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई थी और उन्हें निर्वाचित भी घोषित किया गया था।

(viii) छत्तीसगढ़ में "मोमिन जुलाहा" जाति को भी अ.पि.व. के रूप में अधिसूचित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ix) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2/96/अ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 12-03-1997 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य में प्रवास करने पर अ.पि.व. की स्थिति जारी रखने की अंतिम तिथि 26-12-1984 है।

(x) श्रीमती शकीला बेगम का छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड निवासी जुबेर अहमद से विवाह के कारण पेंड्रा रोड में प्रवास (01-11-2000 को पुनर्गठन के बाद) वर्ष 1985 में हुआ।

(4) विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पेंड्रा रोड ने निम्नलिखित विचारणीय मुद्दे विरचित किए:

> "01- क्या निर्वाचन अधिकारी, अनावेदक क्रमांक-04 (चुनाव याचिका क्रमांक 13/2007 में अनावेदक कमांक-04 एवं चुनाव याचिका कमांक 12/2007 में अनावेदक कमांक-08) को नामांकन पत्रों की पुनः समीक्षा का अधिकार नहीं था?
>
> 02- क्या निर्वाचन अधिकारी अनावेदक क्रमांक-04 (चुनाव याचिका क्रमांक 13/2007 में अनावेदक क्रमांक-04 एवं चुनाव याचिका कमांक 12/2007 में अनावेदक कमांक-08)

ने पुनः समीक्षा की विधिवत एवं उचित सूचना अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को नहीं दिया है?

03- क्या उक्त निर्वाचन के समय शकीला बेगम के पक्ष में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार होने का कोई वैध एवं प्रभावशील जाति प्रमाण पत्र नहीं था?

04- क्या शकीला बेगम ने नायब तहसीलदार का फर्जी एवं कूटरचित जाति प्रमाण पत्र पेश कर कदाचरण किया है?

05- क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा शकीला बेगम के नामांकन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार किया गया है?

06 - क्या श्रीमती शकीला बेगम का निर्वाचन शून्य एवं अवैध है?

(5) विवाद्यक क्रमांक 1 पर, यह अभिनिर्धारित गया कि रिट याचिका क्रमांक 4612/2004 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2004 के अनुसरण में, निवार्चन अधिकारी को श्रीमती शकीला बेगम के नामांकन की 04-12-2004 को पुनः जांच करने का अधिकार था। मुद्दा क्रमांक 2 पर, यह माना गया कि कानून द्वारा अपेक्षित कानूनी नोटिस उम्मीदवारों को नहीं दिया गया और आपत्तियां करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। मुद्दा क्रमांक 3 से 5 पर, यह माना गया कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 208 बी/121/2003-04 में नायब तहसीलदार, पेंड्रा रोड द्वारा जारी किए गए कथित जाति प्रमाण पत्र कूटरचित थे और एसडीओ, अनूपपुर द्वारा दिनांक 27-11-2004 को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र दिनांक 18-11-2004 को रद्द करने के मद्देनजर, श्रीमती शकीला बेगम के पास छत्तीसगढ़ के ओबीसी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए वैध जाति प्रमाण पत्र नहीं था अतः, निवार्चन अधिकारी द्वारा श्रीमती शकीला बेगम का नामांकन स्वीकार करना अनुचित था। पेंड्रा रोड के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने माना कि नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष पद पर श्रीमती शकीला बेगम का निर्वाचन विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य है। श्रीमती गीता गुप्ता द्वारा सबसे अधिक मत प्राप्त करने के आधार पर निर्वाचित घोषित किए जाने की प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी गई और नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया गया।

(6) सिविल पुनरीक्षण संख्या 89/2007 और 90/2007 में आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता और सिविल पुनरीक्षण संख्या 97/2007 में उत्तरवादी श्रीमती शकीला बेगम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. दिवाकर ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 4612/2004 में पारित दिनांक 02-12-2004 का आदेश, जब तक उस पर रोक नहीं लगा दी गई थी, श्रीमती शकीला बेगम को नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देने के समान है। पुनः जांच के समय सभी उम्मीदवारों को उचित सूचना देने के बाद श्रीमती शकीला बेगम का नामांकन स्वीकार कर लिया गया था। नायब तहसीलदार, गौरेला द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को कलेक्टर द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिनके पास श्रीमती संध्या राव द्वारा दिनांक 30-11-2004 को शिकायत की गई थी। नियमों के तहत नायब तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम थे। इस प्रकार, श्रीमती शकीला बेगम द्वारा किया गया भ्रष्ट आचरण सिद्ध नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य में अ.पि.व. के अंतर्गत मान्यता प्राप्त "मोमिन जुलाहा" जाति, छत्तीसगढ़ राज्य में भी अ.पि.व. के अंतर्गत अधिसूचित जाति है।

(7) सभी सिविल पुनरीक्षण में उत्तरवादी श्रीमती संध्या राव की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कनक तिवारी ने तर्क दिया कि श्रीमती शकीला बेगम का स्वैच्छिक प्रवास वर्ष 1985 में पेंड्रा रोड के जुबेर अहमद के साथ विवाह के बाद अंतिम कट ऑफ तिथि के बाद हुआ था, जिससे श्रीमती शकीला बेगम को छत्तीसगढ़ में अ.पि.व. का दर्जा नहीं मिला, भले ही छत्तीसगढ़ राज्य में "मोमिन जुलाहा" जाति को अ.पि.व. के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग के पास नियम, 1994 के नियम 23 के तहत यह क्षेत्रअधिकार नहीं है की वह चुनाव प्रक्रिया को वापस मोड़ सके। यह भी तर्क दिया गया कि नामांकन पत्रों की जाँच और नाम वापसी का चरण समाप्त हो जाने और चुनाव चिह्न आवंटित हो जाने के बाद, चुनाव प्रक्रिया को उलटा नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के पास केवल एक उम्मीदवार, अर्थात श्रीमती शकीला बेगम, के नामांकन पत्रों की पुनः जाँच का आदेश देने का अधिकार भी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) सिविल पुनरीक्षण संख्या 89/2007 और 90/2007 में उत्तरवादी और सिविल पुनरीक्षण संख्या 97/2007 में आवेदिका श्रीमती गीता गुप्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश पांडे ने तर्क दिया कि यह साबित करने का भार कि अ.पि.व. के अंतर्गत जाति के दो प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, पेंड्रा रोड द्वारा उचित जाँच के बाद श्रीमती शकीला बेगम के पक्ष में जारी किए गए थे, उन पर था। पेंड्रा रोड के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि राजस्व प्रकरण संख्या 208 बी/121/2003-04 में नायब तहसीलदार, पेंड्रा रोड द्वारा जारी किए गए कथित जाति प्रमाण पत्र, उनकी जाति "मोमिन जुलाहा" दर्शाते हैं, जो एक अ.पि.व. हैं तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ 12-34-82-2-25 दिनांक 06-12-1982 के तहत अधिसूचित है, कूटरचित थे, यह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित था, और इसमें पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

(9) प्रतिद्वन्द्वी तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, मैंने चुनाव याचिका संख्या 12/2007 और 13/2007 के अभिलेख का अवलोकन किया है।

(10) छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम, 1961' के रूप में संदर्भित) की धारा 26 निम्नानुसार है:

"26. निर्णय की अंतिमता.- (1) याचिका पर न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) याचिका पर न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे निर्णय की तारीख से तीस दिन के भीतर, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है:-

(क) यह निर्णय कानून के विपरीत है;

(ख) न्यायाधीश ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या वह विधि द्वारा उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, किन्तु ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो उच्च न्यायालय उस पर पारित करे, ऐसा निर्णय अंतिम होगा।"

इसलिए, इन पुनरीक्षणो में, आक्षेपित आदेशों का परीक्षण अधिनियम, 1961 की धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ख) के तहत उल्लिखित आधारों पर किया जाना अपेक्षित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) नियम, 1994 का अध्याय IV चुनाव के संचालन से संबंधित है। नियम, 1994 का नियम 21 चुनाव की सूचना और उसके लिए समय-सारिणी का प्रावधान करता है, जो इस प्रकार है:

"**21. निर्वाचन की सूचना और उसके लिए समय-सारिणी.** - निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी प्ररूप 2 में सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा, -

(क) महापौर, अध्यक्ष या पार्षद के पद के लिए चुनाव हेतु नामांकन करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान, जो नोटिस के प्रकाशन की तिथि के पश्चात् सातवें दिन होगा या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला अनुवर्ती दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है;

(ख) नामांकनों की जांच के लिए तारीख, समय और स्थान, और ऐसी तारीख नामांकन करने के लिए नियत अंतिम तारीख के बाद का अगला दिन होगा, या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला अनुवर्ती दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है;

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि, जो नामांकनों की जांच की तिथि के बाद दूसरा दिन होगी, या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला अनुवर्ती दिन, जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है;

(घ) वह तारीख और समय जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो, मतदान कराया जाएगा; और

(ङ) मतगणना की तिथि, समय और स्थान:-

टिप्पणी:- "सार्वजनिक अवकाश" से तात्पर्य किसी ऐसे दिन से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यालयों तथा राज्य के सरकारी कोषागारों और उप-कोषागारों के लिए अवकाश घोषित किया गया है।"

(12) नियम, 1994 का नियम 23, जो निर्वाचन आयोग को, कारण दर्ज करते हुए, नियम, 1994 के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित समय-सारिणी में आवश्यक संशोधन करके चुनाव सम्पन्न कराने के लिए समय बढ़ाने के लिए प्राधिकृत करता है, इस प्रकार है:

"23. चुनाव पूरा करने के लिए समय का विस्तार - चुनाव आयोग उन कारणों से, जिन्हें वह पर्याप्त समझता है, नियम 21 के तहत निर्धारित समय-सारिणी में आवश्यक संशोधन करके किसी चुनाव को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए सक्षम होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, "समय बढ़ाना" शब्दों की व्याख्या आवश्यक है। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, तृतीय संस्करण 2005, पृष्ठ 1737 पर "समय बढ़ाएँ" शीर्षक के अंतर्गत कहा गया है कि मूल रूप से सीमित समय समाप्त हो जाने के बाद समय का विस्तार नहीं हो सकता। जब तक कोई अधिकार विद्यमान है और समाप्त नहीं हुआ है, अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से विस्तार दिया जा सकता है। *(नेशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, (1963) 33 कॉम्प. केस. 265)*। मेरी सुविचारित राय में, समय का विस्तार किसी भी कार्य के लिए नियमों के तहत निर्धारित समय की अवधि के दौरान ही संभव है, उसके समाप्त होने के बाद नहीं।

(13) नियम, 1994 के नियम 21 के अंतर्गत, जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा हेतु तिथि, समय और स्थान निर्धारित कर दिया गया था और दिनांक 30-11-2004 को अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा का चरण समाप्त हो गया था और तत्पश्चात दिनांक 02-12-2004 को नाम वापसी का अगला चरण भी पूरा हो गया था तथा अभ्यर्थियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए थे, तब निर्वाचन आयोग को श्रीमती शकीला बेगम के नामांकन की पुनः संवीक्षा का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका संख्या 4612/2004 में पारित दिनांक 02-12-2004 के आदेश के कारण उत्पन्न उलझन को सुलझाने के लिए, निर्वाचन आयोग ने किसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु यह कदम उठाया। चुनाव प्रक्रिया के आगे के चरणों पर दिनांक 02-12-2004 के अपने आदेश के प्रभाव के संबंध में न्यायालय से तुरंत स्पष्टीकरण मांगने या उक्त आदेश को खारिज करने की प्रार्थना करने के बजाय, इसने समय को पीछे ले जाकर दिनांक 04-12-2004 का आदेश पारित किया और चुनाव प्रक्रिया को 30-11-2004 के चरण में स्थगित कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक

04-12-2004 के उक्त आदेश में, राज्य चुनाव आयोग ने केवल श्रीमती शकीला बेगम के नामांकन पत्र की पुनः जांच करने का आदेश दिया था। मेरी सुविचारित राय में, निर्वाचन आयोग को नियम, 1994 के नियम 21 के अंतर्गत ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। रिट याचिका क्रमांक 4612/2004 में पारित दिनांक 02-12-2004 के आदेश का प्रभाव, रिटर्निंग अधिकारी, पेंड्रा रोड द्वारा पारित दिनांक 30-11-2004 के आदेश के संचालन और कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगाना था। दिनांक 30-11-2004 का आदेश रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के चरण में पारित किया गया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित आदेश पर रोक लगने के परिणामस्वरूप, चुनाव प्रक्रिया के आगे के चरण रुक गए और आदेश के प्रभावी रहने तक जारी नहीं रह सके। इसलिए, चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के शेष चरणों को पूरा करने के लिए समय को इस तरह बढ़ा सकता था ताकि वह रिट याचिका संख्या 4612/2004 में पारित दिनांक 02-12-2004 के आदेश को रद्द करने की मांग कर सके। यह चुनाव प्रक्रिया को नामांकन की जांच के चरण तक सीमित नहीं कर सकता था क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच का समय दिनांक 30-11-2004 को ही समाप्त हो चुका था और उम्मीदवारी वापस लेने का अगला चरण भी पूरा हो चुका था मेरी सुविचारित राय में, चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित कर दिया है क्योंकि रिट याचिका संख्या 4612/2004 में पारित दिनांक 02-12-2004 के आदेश के कारण, चुनाव प्रक्रिया रुक गई और स्थगन हटने तक आगे नहीं बढ़ सकी। इस प्रकार, पेंड्रा रोड के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में त्रुटि की कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 4612/2004 में दिनांक 02-12-2004 को पारित आदेश के अनुसरण में, रिटर्निंग अधिकारी को श्रीमती शकीला बेगम के नामांकन की दिनांक 04-12-2004 को पुनः जाँच करने का अधिकार था। नामांकन पत्रों की जाँच और नाम वापसी की तिथि बीत जाने और चुनाव चिह्न आवंटित हो जाने के बाद, केवल एक उम्मीदवार, यानी श्रीमती शकीला बेगम, के नामांकन की पुनः जाँच की तिथि तय करके चुनाव प्रक्रिया को उलटा नहीं किया जा सकता था। उन्हें परिणाम घोषित होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और इस आधार पर चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए थी कि उनका नामांकन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) नियम, 1994 के नियम 28(1) के अधीन, नियम, 1994 के नियम 25 के अधीन प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच के लिए नियत तिथि पर, अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक, तथा अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति, परंतु कोई अन्य व्यक्ति नहीं, नियम, 1994 के नियम 21 के अधीन इस निमित्त नियत समय और स्थान पर उपस्थित हो सकेगा और निवार्चन अधिकारी उन्हें नियम, 1994 के नियम 25 के अनुसार अपेक्षित सभी अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा। "नामांकन पत्रों की जांच के लिए नियत तिथि पर" शब्द भविष्य की तिथि या अधिकतम आदेश पारित होने के अगले दिन को दर्शाते हैं, जिससे अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, प्रत्येक अभ्यर्थी के एक प्रस्तावक और अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति, किन्तु किसी अन्य व्यक्ति को नामांकन पत्रों की जांच के लिए इस निमित्त नियत समय और स्थान पर उपस्थित होने की सुविधा मिल सके। जिस तरह से श्रीमती शकीला बेगम के नामांकन पत्र की पुनः जांच दिनांक 04-12-2004 को जल्दबाजी में की गई थी, वह किसी भी तरह से नियम, 1994 के नियम 28 के उप-नियम (1) की

आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। उम्मीदवारों को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए कि नामांकन पत्रों की जांच किसी भी भविष्य की तारीख पर की जानी है ताकि उन्हें अपने चुनाव एजेंटों, प्रत्येक उम्मीदवार के एक प्रस्तावक और उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से नामांकन पत्रों की जांच में शामिल होने के लिए अधिकृत एक अन्य व्यक्ति के साथ उपस्थित होने की सुविधा मिल सके। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पेंड्रा रोड ने पक्षकारो द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और उम्मीदवारों पर नोटिस की तामीली से संबंधित दस्तावेजों की उचित विवेचन के बाद, सही ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कानून द्वारा अपेक्षित नोटिस उम्मीदवारों को नहीं दिया गया था और नामांकन पत्रों की पुनः जांच के समय उम्मीदवारों को आपत्तियां करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था।

15) एक और स्पष्ट विशेषता जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित करती है, वह यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित दिनांक 30-11-2004 का आदेश, जिसके द्वारा श्रीमती शकीला बेगम का नामांकन खारिज कर दिया गया था, वह अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर द्वारा 27-11-2004 को पारित आदेश पर आधारित था, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर द्वारा दिनांक 18-11-2004 को जारी किया गया मध्य प्रदेश में अ.पि.व. का जाति प्रमाण पत्र, जो श्रीमती शकीला बेगम के पक्ष में जारी किया गया था और उनके द्वारा उनके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था, निरस्त कर दिया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर श्री आर.पी. मिश्रा, एन.ए.डब्लू.-1 ने निर्वाचन याचिका क्रमांक 12/2007 और 13/2007 में जिरह के दौरान अस्पष्ठ रूप से कथन किये बिना स्वीकार किया है कि दिनांक 04-12-2004 को पुनः जांच के दौरान उन्होंने नायब तहसीलदार, पेंड्रा रोड द्वारा जारी किए गए दो जाति प्रमाण पत्रों पर विचार किया था और उन्हें प्रासंगिक नहीं पाया था तथा उन्होंने श्रीमती शकीला बेगम का नामांकन केवल अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर द्वारा दिनांक 18-11-2004 को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया था। इसका अर्थ यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04-12-2004 को श्रीमती शकीला बेगम के नामांकन पत्र की स्वीकृति अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर द्वारा जारी दिनांक 18-11-2004 के प्रमाण पत्र पर आधारित थी, न कि नायब तहसीलदार, पेंड्रा रोड द्वारा जारी किए गए दो जाति प्रमाण पत्रों पर।

(16) एम.सी.डी. बनाम वीना एवं अन्य, (2001) 6 एस.सी.सी. 571 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> 6. जातियां या समूह किसी दिए गए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट किए जाते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ऐसी जाति में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अ.पि.व. समूह से संबंधित जातियां शामिल होंगी जिसके लिए यह निर्दिष्ट है। अ.पि.व. से संबंधित किसी विशेष समूह में किसी विशेष जाति को निर्दिष्ट करने के लिए जिन मामलों पर विचार किया जाना है, वे उस राज्य में उस जाति या समूह द्वारा झेली गई असुविधाओं और सामाजिक कठिनाइयों की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करेंगे। हालाँकि, ऐसा किसी अन्य राज्य में नहीं हो सकता है जहाँ उस जाति का कोई व्यक्ति प्रवास करके जाता है। यह भी हो सकता है कि एक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ही नामकरण से संबंधित जाति दो राज्यों में निर्दिष्ट हो, लेकिन जिन आधारों पर उन्हें निर्दिष्ट किया गया था वे पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए, विनिर्देशन के लिए तथ्यो का गठन करने वाले विभिन्न तत्वों के नुकसान की सीमा भी पूरी तरह से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि किसी विशेष जाति को एक राज्य में अ.पि.व. के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि किसी अन्य राज्य में उसी नामकरण से संबंधित कोई अन्य समूह है, तो उस समूह से संबंधित व्यक्ति उस जाति के सदस्यों को स्वीकार्य अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों का हकदार है। अ.पि.व. को आरक्षण देने के संदर्भ में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

(17) पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओ ने इस सुस्थापित कानूनी प्रस्ताव पर विवाद नहीं किया कि श्रीमती शकीला बेगम केवल दिनांक 18-11-2004 को अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा उनके पक्ष में जारी किए गए अ.पि.व. के तहत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ में अ.पि.व. की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट, नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती थीं, भले ही अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा दिनांक 27-11-2004 को ऐसे प्रमाण पत्र को रद्द करना अनुचित था, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ राज्य में स्वैच्छिक प्रवास के कारण मध्य प्रदेश में श्रीमती शकीला बेगम की अ.पि.व. की स्थिति नष्ट नहीं हुई थी। जो भी हो, रिटर्निंग ऑफिसर श्री आर.पी. मिश्रा द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किए जाने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वे नायब तहसीलदार, पेंड्रा रोड द्वारा जारी किए गए श्रीमती शकीला बेगम द्वारा प्रस्तुत किए गए दो जाति प्रमाणपत्रों से संतुष्ट नहीं थे और नामांकन की स्वीकृति केवल मध्य प्रदेश के अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर द्वारा 18-11-2004 को जारी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हुई थी। इस प्रकार, निवार्चन अधिकारी, पेंड्रा रोड द्वारा दिनांक 04-12-2004 को श्रीमती शकीला बेगम के नामांकन पत्र को स्वीकार करना पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि यह अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर द्वारा दिनांक 18-11-2004 को जारी किए गए प्रमाणपत्र पर आधारित था, जो नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि पर छत्तीसगढ़ में श्रीमती शकीला बेगम को अ.पि.व. का दर्जा नहीं देता था।

(18) चूँकि मैंने यह माना है कि श्रीमती शकीला बेगम के नामांकन पत्र की दिनांक 04-12-2004 को पुनः जाँच कानूनन अनुचित था क्योंकि चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया के किसी भी चरण को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था, जो पहले ही बीत चुका था, इसलिए संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया और चुनाव परिणाम कानून के विपरीत होने के कारण दूषित हैं। परिणामस्वरूप, नगर पंचायत गौरेला के अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती शकीला बेगम का निर्वाचन प्रारंभ से ही शून्य घोषित किया जाता है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पेंड्रा रोड द्वारा चुनाव याचिका संख्या 12/2007 और 13/2007 को खारिज करना और साथ ही श्रीमती गीता गुप्ता की निर्वाचित घोषित किए जाने की प्रार्थना को अस्वीकार करने में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) परिणामस्वरूप, सिविल पुनरीक्षण संख्या 89/2007, 90/2007 और 97/2007 को खारिज किया जाता है।

(20) इस आदेश को समाप्त करने से पहले, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को नियम 1994 के नियम 21 के तहत जारी नियम 21 और फॉर्म नंबर 2 में संशोधन की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए ताकि उम्मीदवारी वापस लेने के चरण के बाद चुनाव चिन्हों के आवंटन के लिए एक चरण प्रदान किया जा सके।

(21) इस आदेश की एक प्रति दोनों संबंधित सिविल पुनरीक्षणों के अभिलेख पर रखी जाए।

सही
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
11-12-2007

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Shobhit Banerjee